प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 936/1996

जयसिंह

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़)

दाण्डिक अपील क्रमांक 937/1996

कार्तिकराम

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

मैं सहमत हूँ ।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनाँक 7-08-2012 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-
न्यायाधीश
7-08-2012

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

....

युगलपीठः <u>माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं</u>
<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा</u>

....

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 936/1996</u>

<u>अपीलार्थी</u> जयसिंह पिता बलीराम धनवार, आयु लगभग 36 वर्ष,
व्यवसाय- श्रमिक,निवासी- सेमरापाली,थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थित</u>ः

अपीलार्थी की ओर सेः श्रीमती सविता तिवारी,अधिवक्ता
राज्य की ओर सेः श्री जे.ए. लोहानी अधिवक्ता

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 937/1996</u>

<u>अपीलार्थी</u> कार्तिकराम पिता ननकीराम धनवार, आयु लगभग 30 वर्ष,व्यवसाय-श्रमिक,निवासी-सेमरापाली,थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर सेः श्रीमती सविता तिवारी,अधिवक्ता

राज्य की ओर सेः श्री जे.ए. लोहानी अधिवक्ता

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन प्रस्तुत दाण्डिक अपील

निर्णय

(पारित करने का दिनांक 7 अगस्त, 2012)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

राधे श्याम शर्मा ,न्यायाधीश द्वारा,

ये अपीलें, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 41/1995 में दिनांक 22-02-1996 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। आक्षेपित निर्णय के द्वारा,अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण जयसिंह और कार्तिकराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में निम्नानुसार हैः

दिनांक 11-12-1994 को रात लगभग 9 बजे, अपीलार्थी जयसिंह, सुखदास (अ.सा.-1) के पास गया और उसके समक्ष यह स्वीकार किया कि उसने मृतक धनेशराम बरिहा की हत्या कारित कर दी है और उसके शव को शक्ति नाला में फेंक दिया है। सुखदास (अ.सा.-1) अपीलार्थी जयसिंह को उप-सरपंच भगवतिया (अ.सा.-4) के पास ले गया। अपीलार्थी जयसिंह ने भगवतिया (अ.सा.-4) के समक्ष भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सुखदास (अ.सा.-1) ने थाना सारंगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। थाना सारंगढ़ में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-1) दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुँचकर पंचों को सूचना (प्रदर्श आर-2) दी और मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-3) तैयार किया। शव परीक्षण के लिए प्रदर्श पी-28 के माध्यम से शासकीय अस्पताल, सारंगढ़ भेजा गया। देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-29) दर्ज की गई। डॉ. एस.के. तिवारी (अ.सा.-7) ने मृतक का शव परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-15) दी,

जिसमें उन्हें 4 फटे हुए एवं 1 कटा हुआ घाव मिला। आगे की विवेचना में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी जयसिंह का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-4 के रूप में दर्ज किया गया और उसके बताए अनुसार, उससे एक टांगिया और लुंगी प्रदर्श पी-8 के माध्यम से जब्त की गई। अपीलार्थी कार्तिकराम का प्रकटीकरण कथन भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रदर्श पी-13 के रूप में दर्ज किया गया और उससे एक डण्डा प्रदर्श पी-7 के माध्यम से जब्त किया गया। उससे एक लुंगी भी प्रदर्श पी-10 के माध्यम से जब्त की गई। घटनास्थल से साधारण मिट्टी और रक्त रंजित मिट्टी प्रदर्श पी-11 के माध्यम से जब्त की गई। कमल सिंह से एक टेप-अभिलेखर प्रदर्श पी-12 के माध्यम से जब्त किया गया। पटवारी जवाहरलाल ने घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-21) तैयार किया। थाना सारंगढ़ में नियमित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-19) दर्ज की गई।

जब्त शुदा वस्तुओं को परीक्षण के लिए प्रदर्श पी-30 के माध्यम से न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। वहाँ से प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-32) प्राप्त हुई। प्रदर्श पी-32 में, वस्तुएँ ए- टांगी, बी- लुंगी, सी- डण्डा, इ - पत्थर, एफ- डण्डा, जी- रक्त रंजित मिट्टी, एल1 - लुंगी, एल2 - अंडरवियर और एल3 - बनियान पर रक्त के धब्बे पाए गए। उपरोक्त वस्तुओं को सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। वहाँ से प्रतिवेदन प्राप्त हुई। सीरोलॉजिकल प्रतिवेदन में, क्रम संख्या 45 पर वर्णित वस्तु यानी लुंगी (वस्तु बी), क्रम संख्या 46 पर डण्डा, क्रम संख्या 49 पर रक्त रंजित मिट्टी, क्रम संख्या 50 पर लुंगी और क्रम संख्या 51 पर बनियान में मानव रक्त पाया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थीगण के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगढ़ के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायगढ़ को उपार्पित किया। वहाँ से यह प्रकरण अंतरण पर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण संपन्न किया और अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

3. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता,श्रीमती सविता तिवारी ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का उचित रूप से विवेचना नहीं किया है। न्यायिकेतर संस्वीकृति का साक्ष्य एक दुर्बल प्रकार का साक्ष्य होता है और यह विश्वसनीय नहीं है। एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उपयोग सह-अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। अभियोजन अपीलार्थीगण के विरुद्ध दोष साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। अपीलार्थी दोषमुक्त होने के पात्र हैं।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्री जे.ए. लोहानी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना है और सत्र प्रकरण क्रमांक 41/1995 के अभिलेख का परिशीलन किया है। स्वीकार्य रूप से, इस घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

> 6. "**17.** .... इस न्यायालय के शब्दों में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि किए जाने से पूर्व, निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तों का पूर्णतः स्थापित होना अनिवार्य है। वे निम्नानुसार हैं: (एस.सी.सी. पृष्ठ 185, कण्डिका 153)
>
> 1. वे परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'निश्चित रूप से स्थापित होनी चाहिए, न कि केवल स्थापित हो सकती हैं;
> 2. इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए, अर्थात उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए;
> 3. परिस्थितियाँ निश्चयात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;
> 4. उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए; तथा
> 5. साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के साथ सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई भी उचित आधार न बचे और यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर वह कृत्य निश्चित रूप से अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

7. **हट्टी सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2007) 12 एससीसी 471** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"27. रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 10 एससीसी 172 में, इस न्यायालय ने विचार किया: (एससीसी पृष्ठ 181, कण्डिका 27-28)

'27. इसके अतिरिक्त, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत वहाँ लागू होता है, जहाँ उस समय के बिंदु जब अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था, के मध्य का समयांतराल इतना कम हो कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का कर्ता होने की संभावना असंभव हो जाए। ऐसे प्रकरण में भी न्यायालयों को कुछ संपोषक साक्ष्य की तलाश करनी चाहिए।'

28. उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध सतीश,(2005) 3 एससीसी 114 में, इस न्यायालय ने अवधारित किया: (एससीसी पृष्ठ 123, कण्डिका 22)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

'22. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत वहाँ प्रभावी होता है, जहाँ उस समय के बिंदु जब अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था, के मध्य का समयांतराल इतना कम हो कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का कर्ता होने की संभावना असंभव हो जाए। उन प्रकरणों में यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना कठिन होगा कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, जहाँ समय का लंबा अंतराल हो और मध्य में अन्य व्यक्तियों के आने की संभावना मौजूद हो। अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखे जाने के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, उन प्रकरणों में दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकालना जोखिम भरा होगा। ...."

(यह भी देखें: **गोवा राज्य विरुद्ध संजय ठाकरान एवं अन्य, (2007) 3 एससीसी 755**)

8. अब, हम अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने हेतु आगे बढ़ेंगे, और यह देखेंगे कि क्या

अभियोजन उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध साबित करने में सक्षम रहा है।

9. सुखदास (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 11-12-1994 की सुबह, अपीलार्थी जयसिंह उसके पास आया और बताया कि उसने मृतक की हत्या कर दी है। यह पूछे जाने पर कि उसने मृतक को क्यों मारा, अपीलार्थी जयसिंह ने बताया कि मृतक बलात्संग करने के आशय से उसके घर में दाखिल हुआ था, इसलिए उसने उसे मार डाला।

10. तुलाराम बरिहा (अ.सा.-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि जब मृतक अपीलार्थी जयसिंह के घर पहुँचा, तब जयसिंह वहाँ उपस्थित नहीं था। अपीलार्थी जयसिंह की पत्नी घर के भीतर मौजूद थी। मृतक को शराब पिलाई गई और उसे अपीलार्थी जयसिंह के घर में ही रोक लिया गया। अपीलार्थी कार्तिकराम की पत्नी ने शोर मचाया कि मृतक और अपीलार्थी जयसिंह की पत्नी को जयसिंह के घर में बंद कर दिया गया है। इस पर, गाँव में एक पंचायत बुलाई गई और मृतक पर जुर्माना अधिरोपित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. सुखदास (अ.सा.-1) और तुलाराम (अ.सा.-3) के साक्ष्यों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी जयसिंह को संदेह था कि उसकी पत्नी और मृतक के मध्य अवैध संबंध थे। अतः, उपरोक्त परिस्थिति यह दर्शाती है कि अपीलार्थी जयसिंह के पास मृतक की हत्या करने का हेतुक था।

12. सुखदास (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 11-12-1994 की सुबह, अपीलार्थी जयसिंह उसके पास आया और उसे बताया कि उसने मृतक की हत्या कर दी है। यह पूछे जाने पर कि उसने मृतक को क्यों मारा, अपीलार्थी जयसिंह ने बताया कि मृतक बलात्संग करने के आशय से उसके घर में घुसा था, इसलिए उसने उसे मार डाला। वह अपीलार्थी जयसिंह को उप-सरपंच भगवतिया (अ.सा.-4) के पास ले गया। भगवतिया (अ.सा.-4) द्वारा पूछे जाने पर, अपीलार्थी जयसिंह ने उसे बताया कि उसने मृतक की हत्या कर दी है और उसके शव को शक्ति नाला में फेंक दिया है।

13. भगवतिया (अ.सा.-4) ने अभिसाक्ष्य दिया कि सुबह लगभग 7-8 बजे, सुखदास (अ.सा.-1) अपीलार्थी जयसिंह को उसके पास लेकर आया। अपीलार्थी जयसिंह ने उसे बताया कि उसने लाठी से मृतक की हत्या कर दी है और उसके शव को शक्ति नाला में फेंक दिया है।

<u>न्यायिकेतर संस्वीकृति</u> :

14. **गुरु सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य, (2001) 2 एससीसी 205** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "6. यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति सत्य और स्वैच्छिक है, तो न्यायालय आरोपित अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु इसका अवलंब ले सकता है। साक्ष्य के रूप में न्यायिकेतर संस्वीकृति की अंतर्निहित दोष के बावजूद, इसे तब अनदेखा नहीं किया जा सकता जब यह दिखाया गया हो कि ऐसी संस्वीकृति किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष की गई थी जिसके पास गलत कथन देने का कोई कारण नहीं है और जिसके समक्ष यह ऐसी परिस्थितियों में की गई है जो उस कथन का समर्थन करती हैं। राव शिव बहादुर सिंह विरुद्ध विंध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1954 एससी 322 के पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने पुनः मघार सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य, (1975) 4 एससीसी 234 में यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा साक्षियों के समक्ष की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य को हमेशा दूषित साक्ष्य नहीं माना जा सकता। ऐसे साक्ष्य का संपुष्टि केवल अत्यधिक सावधानी के तौर पर आवश्यक है। यदि न्यायालय उस साक्षी पर विश्वास करता है जिसके समक्ष संस्वीकृति की गई है और इस बात से संतुष्ट है कि संस्वीकृति सत्य और स्वैच्छिक रूप से की गई थी, तो केवल ऐसे साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि की जा सकती है। नारायण सिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य, (1985) 4 एससीसी 26 में, इस न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि दाण्डिक प्रकरण का विचारण करने वाले न्यायालय के लिए यह उचित नहीं है कि वह इस धारणा के साथ शुरुआत करे कि न्यायिकेतर संस्वीकृति हमेशा एक दुर्बल प्रकार का साक्ष्य होती है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, संस्वीकृति के समय और ऐसी संस्वीकृति के बारे में बताने वाले साक्षियों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। न्यायिकेतर संस्वीकृति से मुकर जाना, जो दाण्डिक प्रकरणों में एक सामान्य घटना है, अपने आप में ऐसी संस्वीकृति पर आधारित अभियोजन के प्रकरण को दुर्बल नहीं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करेगा। किशोर चंद विरुद्ध हि.प्र. राज्य, (1991) 1 एससीसी 286 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक स्पष्ट न्यायिकेतर संस्वीकृति उच्च प्रमाणिक मूल्य रखती है क्योंकि यह उस व्यक्ति से उत्पन्न होती है जिसने अपराध किया है और साक्ष्य में स्वीकार्य है, बशर्ते यह संदेह और किसी भी मिथ्यात्व के सुझाव से मुक्त हो। हालाँकि, कथित संस्वीकृति का अवलंब लेने से पूर्व, न्यायालय को यह समाधान होना चाहिए कि यह स्वैच्छिक है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन परिकल्पित किसी प्रलोभन, धमकी या वादे का परिणाम नहीं है या धारा 25 और 26 को दरकिनार करने के लिए संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं लाई गई है। न्यायालय को आस-पास की परिस्थितियों पर गौर करना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसी संस्वीकृति किसी अनुचित या अप्रत्यक्ष विचार से प्रेरित तो नहीं है। सभी सुसंगत परिस्थितियाँ जैसे—वह व्यक्ति जिसके समक्ष संस्वीकृति की गई, उसे करने का समय और स्थान, तथा वे परिस्थितियाँ जिनमें यह की गई थी, की सूक्ष्म जांच की जानी चाहिए। इसी आशय का निर्णय बलदेव राज विरुद्ध हरियाणा राज्य, 1991 सप्प (1) एससीसी 14 में भी है। पियारा सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य, (1977) 4 एससीसी 452 के निर्णय का संदर्भ देते हुए, इस न्यायालय ने मदन गोपाल कक्कड़ विरुद्ध नवल दुबे, (1992) 3 एससीसी 204 में अभिनिर्धारित किया कि वह न्यायिकेतर संस्वीकृति जो दबाव में, पक्षकार के वादे या झूठी आशा से प्राप्त नहीं की गई है और जो पूर्ण तथा स्वैच्छिक प्रकृति की है, बिना संपुष्टि के भी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है।"

15. आफताब अहमद अंसारी विरुद्ध उत्तरांचल राज्य, (2010) 2 एससीसी 583 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"52. यद्यपि न्यायालयों द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति को साक्ष्य का एक दुर्बल हिस्सा माना जाता है, तथापि यह न्यायालय पाता है कि न तो विधि का ऐसा कोई नियम है और न ही विवेक का, कि न्यायिकेतर संस्वीकृति प्रस्तुत करने वाले साक्ष्य का तब तक अवलंब नही लिया जा सकता जब तक कि किसी अन्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा उसका संपोषण न किया गया हो। न्यायिकेतर संस्वीकृति से संबंधित साक्ष्य पर तब विश्वास किया जा सकता है, यदि वह किसी ऐसे साक्षी के मुख से आए जो पूर्वाग्रह से मुक्त प्रतीत होता हो और जिसके संबंध में दूर-दूर तक ऐसी कोई बात सामने न आई हो जो यह संकेत दे सके कि उसके पास अभियुक्त पर झूठा कथन थोपने का कोई हेतुक हो सकता है।

16. हमने सुखदास (अ.सा.-1) और भगवतिया (अ.सा.-4) के साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। उन्होंने विशिष्ट रूप से यह कथन दिया कि अपीलार्थी जयसिंह, सुखदास (अ.सा.-1) के घर गया था और उसने उसके समक्ष स्वीकार किया कि उसने मृतक की हत्या की है। सुखदास (अ.सा.-1) और भगवतिया (अ.सा.-4) द्वारा पूछे जाने पर, अपीलार्थी जयसिंह ने 'टांगी' (कुल्हाड़ी) से मृतक की हत्या करना स्वीकार किया। उनके साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। चिकित्सीय साक्ष्य से, हम पाते हैं कि मृतक को 2 कटे हुए घाव और 3 फटे हुए घाव आए थे। उसकी मृत्यु सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी और उसकी मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। अतः, अपीलार्थी जयसिंह द्वारा सुखदास (अ.सा.-1) और भगवतिया (अ.सा.-4) के समक्ष की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति का परिस्थितिजन्य साक्ष्य विश्वसनीय है और इसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. अब, हम अपीलार्थीगण के प्रकटीकरण कथनों और उनके बताए अनुसार, अपीलार्थी जयसिंह से रक्त रंजित टांगी तथा अपीलार्थी कार्तिकराम से रक्त रंजित लाठी की जब्ती पर विचार करेंगे।

18. उप-निरीक्षक श्याम सुंदर शर्मा (अ.सा.-17) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थीगण के प्रकटीकरण कथन दर्ज किए। अपीलार्थी जयसिंह के बताए अनुसार, प्रदर्श पी-8 के माध्यम से उससे टांगी और लुंगी जब्त की गई। अपीलार्थी जयसिंह का एक और प्रकटीकरण कथन दर्ज किया गया और उसके आधार पर उससे पत्थर और डंठल जब्त किए गए।

19. जयसिंह (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी जयसिंह के प्रकटीकरण कथन उप-निरीक्षक श्याम सुंदर शर्मा (अ.सा.-17) द्वारा प्रदर्श पी-4 और पी-6 के रूप में दर्ज किए गए थे और अपीलार्थी जयसिंह की निशानदेही पर उससे टांगी, पत्थर और डंठल जब्त किए गए थे।

20. जहाँ तक अपीलार्थी जयसिंह का संबंध है, उसने सुखदास (अ.सा.-1) और भगवतिया (अ.सा.-4) के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति दी थी और उसके बताए अनुसार, उससे

टांगी, डंठल और पत्थर जब्त किए गए। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-32) में टांगी, पत्थर और डंठल पर रक्त के धब्बे पाए गए।

21. हमने सुखदास (अ.सा.-1) और भगवतिया (अ.सा.-4) के साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। उन्होंने विशिष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी जयसिंह ने उनके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति दी थी। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-1) में भी यह उल्लेख है कि अपीलार्थी जयसिंह ने उनके समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया था। अतः, अभियोजन ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपीलार्थी जयसिंह ने टांगी से मृतक पर हमला किया था।

22. जहाँ तक अपीलार्थी कार्तिकराम का संबंध है, अभिलेख पर उसके विरुद्ध केवल प्रकटीकरण कथन और उसके बताए अनुसार उससे रक्त रंजित लाठी की बरामदगी का साक्ष्य ही उपलब्ध है।

23. उप-निरीक्षक श्याम सुंदर शर्मा (अ.सा.-17) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 16-12-1994 को उन्होंने अपीलार्थी कार्तिकराम का प्रकटीकरण कथन दर्ज किया और अपीलार्थी कार्तिकराम की निशानदेही पर उससे एक लाठी जब्त की गई। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि लाठी को रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल., रायपुर भेजा गया था। प्रदर्श पी-32 एफ.एस.एल. प्रतिवेदन है। प्रदर्श पी-32 में यह उल्लेख है कि डण्डा (वस्तु बी) रक्त रंजित था। सीरोलॉजिकल प्रतिवेदन में भी यह उल्लेख है कि डण्डा मानव रक्त से रंजित था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. अब, हम यह परीक्षण करेंगे कि क्या उपरोक्त साक्ष्य अपीलार्थी कार्तिकराम को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त है?

25. अपीलार्थी जयसिंह का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-4) दिनांक 12-12-1994 को दर्ज किया गया था, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

> "मै तथा मेरा भतीजा कार्तिकराम दोनो मिलकर पुरानी रंजिश पर से धनेश को मिलकर आंगन में मारपीट किये तथा उसको मारे है। मैने धनेश को कुल्हाड़ी से तथा कार्तिकराम डण्डा से मारा है।"

26. अपीलार्थी जयसिंह के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-4) के आधार पर, अपीलार्थी कार्तिकराम का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-13) दर्ज किया गया और अपीलार्थी कार्तिकराम से डण्डा बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी कार्तिकराम के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। यहाँ तक कि न्यायिकेतर संस्वीकृति में भी अपीलार्थी जयसिंह ने अपीलार्थी कार्तिकराम के विरुद्ध कुछ भी कथन नहीं किया था। उसने अपीलार्थी

कार्तिकराम के विरुद्ध पहली बार साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित अपने प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-4) में ही बात कही थी।

27. **पांचो विरुद्ध हरियाणा राज्य, 2012 क्रि.एलजे 832 (एससी)** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "16. ..... इस न्यायालय ने आगे यह अवधारित किया कि (साक्ष्य अधिनियम की) धारा 30 केवल न्यायालय को संस्वीकृति को विचार में लेने में सक्षम बनाती है। न्यायालय के लिए संस्वीकृति को विचार में लेना अनिवार्य नहीं है। इस न्यायालय ने दोहराया कि किसी संस्वीकृति को सह-अभियुक्त के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। जहाँ अभियोजन एक अभियुक्त की संस्वीकृति का दूसरे के विरुद्ध अवलंब लेता है, वहाँ सही दृष्टिकोण यह है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार किया जाए और यदि उक्त साक्ष्य संतोषजनक प्रतीत होते हैं और न्यायालय का यह झुकाव है कि उक्त साक्ष्य उस अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को पुष्ट कर सकते हैं, तब न्यायालय संस्वीकृति की ओर यह सुनिश्चित करने के लिए मुड़ता है कि अन्य साक्ष्यों से वह जो निष्कर्ष निकालने की ओर अग्रसर है, वह उचित है। इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के कारण संस्वीकृति को सामान्य अर्थ में साक्ष्य माना जा सकता है, किंतु तथ्य यही रहता है कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित साक्ष्य नहीं है। इसलिए, किसी अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण की सुनवाई करते समय, न्यायालय सह-अभियुक्त की संस्वीकृति से शुरुआत नहीं कर सकता; उसे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से शुरुआत करनी चाहिए और उक्त साक्ष्यों की गुणवत्ता और प्रभाव के संबंध में अपनी राय बनाने के बाद ही, उस दोषसिद्धि के निष्कर्ष को संपुष्ट करने के लिए संस्वीकृति की ओर मुड़ना स्वीकार्य है, जिस तक न्यायिक मस्तिष्क अन्य साक्ष्यों के आधार पर पहुँचने ही वाला है।"

28. वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि जहाँ तक अपीलार्थी कार्तिकराम का संबंध है, उसकी निशानदेही पर विलंब से की गई डण्डे की बरामदगी के साक्ष्य के अतिरिक्त, उसे प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी कार्तिकराम से बरामद डण्डे पर सीरोलॉजिकल प्रतिवेदन में मानव रक्त पाया गया था, किंतु रक्त के समूह का पता नहीं चल सका था। जब अभिलेख पर उसकी संलिप्तता स्थापित करने वाला कोई अन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो उसे केवल प्रकटीकरण कथन और डण्डे की बरामदगी की उक्त एकल परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

29. जहाँ तक अपीलार्थी जयसिंह का संबंध है, उसके द्वारा सुखदास (अ.सा.-1) और भगवतिया (अ.सा.-4) के समक्ष की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति उपलब्ध है, जो विश्वसनीय और भरोसेमंद है। अतः, अभियोजन यह स्थापित करने में सफल रहा है कि उसने टांगी से मृतक पर हमला किया था और मृतक की मृत्यु अपीलार्थी जयसिंह द्वारा पहुंचाई गई क्षति के कारण हुई थी, और इसलिए, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंड का पात्र है।

30. उपरोक्त कारणों से, अपीलार्थी कार्तिकराम की दाण्डिक अपील क्रमांक 937/1996 स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन उसकी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है और उसे उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूतियों को उन्मोचित किए जाते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31. जहाँ तक अपीलार्थी जयसिंह की दाण्डिक अपील क्रमांक 936/1996 का संबंध है, इसमें कोई सार नहीं है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी जयसिंह की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश की अभिपुष्टि की जाती है।

सही/-	**सही/-**
(सुनील कुमार सिन्हा)	**(आर.एस. शर्मा)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं

यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur